

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1825
जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

ई-न्यायालय

1825. श्री सुधीर गुप्ता :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में मामलों के बढ़ते भार को समाप्त करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ई-न्यायालय मामलों के प्रभावी और समयबद्ध निपटान में पूरी तरह समर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ई-न्यायालयों पर आने वाले संभावित व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय न्यायालयों ने ई-फाइलिंग की विधि को अपना लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो अनिवार्य ई-फाइलिंग वाले न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) कागज की बर्बादी को कम करने और भारतीय न्यायपालिका में न्यायालयी मामलों के भार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) : सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से पूरे देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थ बनाने के लिए के ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को कार्यान्वित कर रही है । ई-

न्यायालय मिशन मोड परियोजना **चरण-2** का कार्यान्वयन वर्ष 2015 में प्रारंभ कर दिया गया था। परियोजना के अधीन उपवर्णित लक्ष्य, 16845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण करना है, जो पूरा हो चुका है। इस चरण के लिए 1670 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के विरुद्ध, सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को आज तक 1459.52 करोड़ रुपए (जिसमें 2020-21 में 68.33 करोड़ रुपए भी शामिल है) की राशि जारी की है। इसमें सभी उच्च न्यायालयों को जारी की गई 1077.76 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसमें से 790.04 करोड़ रुपए की राशि का वित्त वर्ष 2020-21 में उपयोग कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों परिसरों के लिए ई-सेवा केन्द्र, न्यायालय परिसरों में वीसी कैबिन और संयोजन के लिए उपस्कर और न्यायालय परिसरों में ई-फाईल करने लिए सहायता-पटल केन्द्र सृजित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निधि जारी कर दी गई है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 16,845 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ई-न्यायालय परियोजना **चरण-2** के कार्यान्वयन की उच्च न्यायालय वार स्थिति **उपाबंध-1** पर है।

(ख) : न्यायालयों में मामलों का निपटान प्रारंभिक रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता, और भौतिक अवसंरचना, अंतर्गत तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् जांच अभिकरणों, साक्षियों एवं वादकारियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित प्रयोग, सामूहिक मामलों की खोज और सुनवाई भी शामिल है।

तथापि, 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और ई-न्यायालय परियोजना **चरण-2**, के अधीन आईसीटी समर्थता के माध्यम से, वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं में शीघ्र प्रदाय को सुकर बनाती है। ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि वाद का रजिस्ट्रीकरण, मामला सूची, मामला स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय वादकारियों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय वेब पोर्टल, सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एवं पुल सेवाओं, और टच स्क्रीन आधारित सूचना स्टॉल के माध्यम

से उपलब्ध है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) जिसे परियोजना के अधीन एक आनलाइन मंच के रूप में सृजित किया गया है, जो देश के कम्प्यूटरीकृत जिले और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारीयां प्रदान करता है। वर्तमान में, न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी, इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से 13.75 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों की प्रास्थिति तथा संबंधित 12.68 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 संगत जेलों के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा से समर्थ बनाया गया है।

(ग) : जारी की गई निधियों और ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 पर उच्च न्यायालय द्वारा उपगत व्यय के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर उपबंधित हैं।

(घ) से (च) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ई-फाइलिंग आवेदन विकसित किया गया है। उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने वर्ष 2018 में एक ई-फाइलिंग प्रणाली रूपांतरण 1.0 अभिकल्पित और तैयार किया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक पोर्टल (e-Filing.ecourts.gov.in) सृजित किया है। पोर्टल, विधिक कागजादों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को समर्थ बनाता है। ई-फाइलिंग, भारतीय न्यायपालिका में भावी प्रौद्योगिकीय वृद्धि के लिए मुख्य आधार है, रूपांतरण 1.0 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में पहले ही उपलब्ध है। ई-फाइलिंग आवेदन, जिला न्यायालय सीआईएस 3.2 और उच्च न्यायालय सीआईएस 1.0 सॉफ्टवेयर में समाकलित किया गया है। ई-फाइलिंग के लिए उन्नत रूपांतरण 2.0 भी ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है और वर्तमान में चल रही सुरक्षा लेखा-परीक्षा की अग्रिम प्रक्रम पर है। ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर आवेदन रूपांतरण 2.0 नवीनतम विशेषताओं, जैसे - अधिवक्ता फोर्ट फोलियों, अधिवक्ता लिपिक प्रविष्टि मॉड्यूल कैलेंडर और सामाजिक मीडिया मंचों के साथ समाकलन सहित तैयार किया गया है। प्रारूप मॉडल ई-फाइलिंग में मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किया जाने हेतु उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा विरचित और परिचालित की गई है। तथापि, ई-फाइलिंग को किसी भी न्यायालय में अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

वर्चुअल न्यायालयों की आईटी स्थापन ने पेपर की व्यर्थता को कम करने में तथा न्यायालयों के मामलों के भार को समाप्त करने में सहायता की है। वर्चुअल न्यायालयों को यातायात चालान के मामलों पर विचार करने के लिए तैयार किया गया

है और उन्हें अच्छे-खासे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्तमान में 6 राज्यों अर्थात् दिल्ली (2), चेन्नई, बंगलूरु, कोच्चि, पूणे में ऐसे 7 न्यायालय हैं । पर्यावरणीय रूप से अनुकूल, वर्चुअल न्यायालय अधिरोपित जुर्मानित ई-संदाय वाली काजगरहित रीति में मामलों को न्याय निर्णयन को समर्थ बनाते हैं । मुकदमेबाज, ई-फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवाद फाइल कर सकते हैं और वास्तविक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और न्यायालय फीस या जुर्माने का भी संदाय ऑनलाइन कर सकते हैं । 16 लाख से अधिक मामलों पर इन 7 न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की गई है । न्यायालय मामलों के भार को और कम करने के लिए राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या को चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वित व्यष्टिकों का अनुसरण कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमे के संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, न्यायालय प्रक्रिया, पुनः इंजीनियरी और मामलों के त्वरित निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का उपयोग तथा मानव संसाधन विकास पर बल भी है ।

उपाबंध-1

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	कम्प्यूट्रीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या	उच्च न्यायालय द्वारा जारी और उपयोग की गई कुल निधि	
			जारी की गई (करोड़)	उपयोग की गई (करोड़)
1.	इलाहाबाद	2072	99.10	80.96
2.	बोम्बे	2079	118.50	89.14
3.	कलकत्ता	811	33.81	14.84
4.	चंडीगढ़	357	25.95	20.40
5.	दिल्ली	427	24.49	10.69
6.	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	496	10.12	3.51
7.	गुवाहाटी (असम)		68.94	38.61
8.	गुवाहाटी (मिज़ोरम)		6.85	5.79
9.	गुवाहाटी (नागालैंड)		6.33	5.63
10.	गुजरात	1108	70.13	46.23
11.	हिमाचल प्रदेश	119	9.88	8.30
12.	जम्मू-कश्मीर	218	18.33	16.25
13.	झारखंड	351	22.42	15.74
14.	कर्नाटक	897	62.17	46.41
15.	केरल	486	33.69	28.43
16.	मध्य प्रदेश	1293	69.68	56.56
17.	मद्रास	1032	66.60	56.39
18.	मणीपुर	37	8.37	4.67
19.	मेघालय	39	9.62	6.87
20.	ओडिशा	534	44.25	27.63
21.	पटना	1025	51.65	36.79
22.	पंजाब और हरियाणा	1018	50.66	48.78
23.	राजस्थान	1094	63.98	56.46
24.	सिक्किम	19	6.68	2.89
25.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	1078	70.82	47.52
26.	त्रिपुरा	69	13.65	10.01
27.	उत्तराखंड	186	11.11	4.55
कुल		16845	1077.76	790.04